संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, उत्तर प्रदेश,
सेक्टर-डी, अलीगंज,
लखनऊ।

2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3-निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ, दिनांक: 06 फरवरी, 2021**

विषयः मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/आनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश् में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे- सिविल सेवा, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में संसाधनों की कमी से ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील एवं परिश्रमी होते हुये भी इन परीक्षाओं की गुणवत्तापरक तैयारी नहीं कर पाते, जिससे इनकी प्रतिभाओं का समुचित निखार नहीं हो पाता है तथा समाज भी इनकी सेवाओं से वंचित रह जाता है। ऐसे में यह आवश्यकता प्रतीत हुई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर समय-समय पर परिवर्तित होते हुये पाठ्यक्रम के अनुरूप विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिस्पर्धात्मक तैयारी हेतु प्रदेश के सभी युवाओं के मार्गदर्शन के लिए राजकीय क्षेत्र में भी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हो, जिससे प्रदेश के लाखों प्रतिभावान युवा पूर्ण विश्वास व तैयारी के साथ व संसाधनों की परवाह न करते हुये इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें। इस हेतु दिनांक 16.02.2021 बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत एक निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसे अगले चरण में प्रत्येक जनपद पर भी स्थापित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों स्थित छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्ध में समुचित मार्गदर्शन देकर उनके उत्थान की दिशा में सार्थक प्रयास करना सभी का सामाजिक दायित्व भी है। अतः प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार तथा प्रत्येक मण्डल मुख्यालय में मण्डलायुक्त की देख-रेख में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र सभी संवर्गों हेतु संचालित किये जायेगें। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन तथा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना हैः-

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं।
2. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग/अन्य भर्ती बोर्ड/संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं आदि।
3. एन0टी0ए0 आयोजित जे0ई0ई0 (मेन्स) एवं नीट की परीक्षाएं ।
4. एन0डी0ए0, सी0डी0एस0, अन्य सैन्य सेवायें, अर्द्धसैनिक/केन्द्रीय पुलिस बल की भर्ती सम्बन्धी, बैंकिंग po/S.S.C/B.Ed/T.E.T तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं आदि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. संघ लोक सेवा आयोग/उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार।

3- योजना का क्रियान्वयन:-

शासन की उच्च प्राथमिकता वाले उद्देष्य को पूर्ण करने हेतु एवं नई व्यवस्था के अन्तर्गत इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना होगा। इस योजना में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दु होंगे:-

क- राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति हेतु उ0प्र0 प्रबन्धन एवं प्रशासन अकादमी, लखनऊ नोडल संस्था तथा समाज कल्याण नोडल विभाग होगा तथा मण्डल स्तरीय समिति हेतु नोडल अधिकारी का चयन मण्डलायुक्त के द्वारा किया जायेगा।

ख- राज्य सरकार में कार्यरत आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, भारतीय वन सेवा, पी0सी0एस0, पी0पी0एस0 संवर्ग एवं अन्य संवर्ग के अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों, विष्यवस्तु विशेषज्ञों के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग आदि के प्रतियोगी छात्रों के लिये राज्य स्तर/मण्डल स्तर पर साक्षात/वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से निःश्ल्क मार्गदर्श्न एवं शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

ग- राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित डिजिटल कन्टेन्ट उपलब्ध कराने हेतु एक ई-लर्निंग प्लेटफार्म की व्यवस्था एवं इसके माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।

घ - मण्डलीय मुख्यालय पर विष्य वस्तु विशेषज्ञों द्वारा वर्चुअल, साक्षात कक्षाओं एवं युवाओं हेतु कैरियर काउंसलिंग सत्रों का आयोजन किया जायेगा।

ङ- राज्य स्तरीय समिति/मण्डल स्तरीय समिति/उपाम के प्रवक्ताओं के द्वारा व्याख्यान/लेक्चर को फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित भी किया जायेगा तथा इस हेतु एक फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल भी स्थापित किया जायेगा। यह सुविधा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगी। इस हेतु पोर्टल का एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा, जो निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।

च- इस योजना हेतु उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी उत्तर प्रदेश (उपाम) सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। इस कार्यक्रम की सफल संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपाम की होगी।

छ- इस योजना के संचालन हेतु बनाए गए पोर्टल, एप तथा अन्य साफ्टवेयर तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हार्डवेयर का वार्षिक रख-रखाव तथा संचालन उपाम द्वारा किया जायेगा। इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।

3(1) योजना का विवरण-

(क)- राज्य स्तर पर ई-लर्निंग प्लेटफार्म की स्थापना:-

राज्य स्तर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समिति के सहयोग से ई-लर्निंग कन्टेन्ट प्लेटफार्म एक पोर्टल के रूप में बनाया जायेगा, जिसे अभ्यर्थियों/उपाम तथा मण्डल मुख्यालयों में कोर्स को-आर्डिनेटर को भी उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्लेटफार्म पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा परीक्षा की तैयारी संबंधी अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी अपलोड किये जायेंगे। उपाम द्वारा भी इस पोर्टल पर परीक्षा की तैयारी से संबंधित टिप्स सामग्री, पुस्तकों इत्यादि संबंधी मार्गदर्शन देते हुए वीडियो अपलोड किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लाइव सेशन एवं वेविनार भी आयोजित किये जायेंगे, जिसमें अधिकारियों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस प्लेटफार्म पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषय वस्तु सामग्री एवं क्यूरेटेड कन्टेन्ट उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके लिए ख्याति प्राप्त संस्थाओं की सामग्री अनुबन्ध के माध्यम से प्राप्त की जायेगी एवं विशेषज्ञों द्वारा नये वीडियो बनाने एवं अपलोड करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से उपाम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सभी सरकारी विभाग/संस्थानों के ई-लर्निंग एप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध किये जायेंगे:-

योजना का संचालन/पर्यवेक्षण निम्न **राज्य स्तरीय समिति** के निर्देशन में होगाः-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग	-	अध्यक्ष
2.	श्री रंजन कुमार, मण्डलायुक्त, लखनऊ	-	सदस्य
3.	श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र	-	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4.	निदेशक सूचना	-	सदस्य
5.	तकनीकी विशेषज्ञ (निदेशक, NIC द्वारा नामित अधिकारी)	-	सदस्य
6.	उपाम से नामित सदस्य (अपर निदेशक स्तर)	-	संयोजक

उपरोक्त समिति कन्टेन्ट तथा पठन पाठन सामग्री इत्यादि हेतु अपनी आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति द्वारा शिक्षण कलेण्डर बनाना व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से सम्बन्धित सामग्री (सभी माध्यम में यथा-वीडियो आदि) तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा। इस संबंध में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थानों, अन्य संस्थाओं से भी अनुबंध के आधार पर सामाग्री प्राप्त की जा सकेगी। वीडियो व अन्य सामाग्री को पोर्टल पर अपलोड करने से पहले स्क्रीनिगं की जायेगी। इसके लिए प्रत्येक विषय हेतु विषय विशेषज्ञों की भी सहायता ली जायेगी। विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों को रू0 1000/- प्रति बैठक की दर से मानदेय दिया जायेगा। यदि विशेषज्ञ बाहर से आते हैं तो उन्हें प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समतुल्य यात्रा भत्ता भी दिया जायेगा।

यह समिति कार्यक्रम के संचालन हेतु जिम्मेदार होगी तथा इसके द्वारा दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही का समन्वय भी किया जायेगा। उ0प्र0 प्रबन्धन एवं प्रशासन अकादमी, लखनऊ में उक्त समिति के लिए कक्ष, कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख)-मण्डल स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का आयोजन:-

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों की सहायता के लिए मण्डल स्तर पर वर्चुअल एवं साक्षात कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति/टास्कफोर्स गठित होगी, जो राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा एक पूर्ण कालिक शिक्षक/समन्वयक की सहायता से कक्षाओं का रोस्टर तैयार करेगी। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें मण्डल मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारी सम्मिलित होंगे। मण्डलायुक्त अन्य सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को भी समिति की बैठक में आमन्त्रित कर सकते हैं। समिति का गठन निम्नवत् होगाः-

1.	मण्डलायुक्त	-	अध्यक्ष
2.	मण्डल मुख्यालय के जिलाधिकारी	-	सदस्य
3.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
4.	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
5.	प्रभागीय वनाधिकारी	-	सदस्य
6.	संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	-	सदस्य
7.	उप निदेशक, समाज कल्याण	-	सदस्य समन्वयक
8.	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य
9.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था	-	सदस्य
10.	मण्डलायुक्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी	-	सदस्य सचिव
11.	कोर्स को-आर्डिनेटर	-	सदस्य
12.	मण्डलायुक्त द्वारा नामित सरकारी/गैर सरकारी व्यक्ति	-	सदस्य

कोर्स को-आर्डिनेटर का चयन मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा। मण्डलायुक्तों द्वारा योजना के संचालन हेतु समुचित कर्मचारी (कोर्स को-आर्डिनेटर के अलावा) आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी रखे जा सकेंगे, जिस हेतु समुचित बजट समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। कक्षाओं के प्रबन्ध के लिए मशीनरी/किरायें पर वाहन इत्यादि की व्यवस्था स्थानीय समिति को समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले बजट से की जायेगी। प्रत्येक सत्र में मण्डल स्तरीय समिति की कम से कम 5 बैठकें आयोजित की जायेंगी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समय-समय पर अनुश्रवण भी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

टास्कफोर्स द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विषय का चयन, परीक्षा की तैयारी के तरीके, टिप्स, प्रश्नों के उत्तर लिखने की विधि, सामान्य अध्ययन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जायेगी।

इन कक्षाओं में प्रतिभाग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा राज्य स्तरीय लर्निंग प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराया जायेगा। पंजीकृत छात्रों को कक्षाओं की समय-सारणी एवं वर्चुअल क्लासेज की लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। साक्षात कक्षा तथा वर्चुअल कक्षा प्रतिदिन आयोजित की जायेगी तथा आनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध होगी। केन्द्र द्वारा भी विषय सामग्री राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त वर्चुअल प्लेटफार्म पर अपलोड की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त ई-लर्निंग प्लेटफार्म द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों को भेजने की सुविधा दी जायेगी। ऐसे छात्रों की मण्डलवार सूची तैयार कर संबंधित मण्डलायुक्त सभी से व्यक्तिगत/समूहों में सम्पर्क कर उन्हें मार्गदर्शन एवं उचित सलाह प्रदान करेंगे।

प्रत्येक मण्डल स्तर पर होने वाली साक्षात कक्षाओं का प्रसारण आनलाइन लिंक के माध्यम से कराया जायेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी लाभान्वित हो सकें। मण्डल स्तर पर वर्चुअल कक्षाओं हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जायेगी। इस हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रारम्भ में प्रति मण्डल रू0 10.00 लाख की धनराशि दी जायेगी। तत्पश्चात् संसाधनों की आवश्यकतानुसार धनराशि मण्डल स्तरीय संस्तुति प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु कोई भी राजकीय अथवा राज्य से अनुदानित स्वयंसेवी संस्था, निगम, आयोग इत्यादि के भवन व सुविधा निःशुल्क अधिग्रहीत किया जा सकेगा। कक्षाओं हेतु सुबह या शाम को भवन खाली रहने पर उपयोग किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी शिक्षण संस्थानों साक्षात् क्लास की लाईव प्रसारण हेतु अपने संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, जिस शिक्षण संस्थान में वर्चुअल/स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था नहीं होगी वो इस हेतु बजट की मांग मण्डल स्तरीय समिति के माध्यम से समाज कल्याण विभाग से करेंगे।

(ग)- मेधावी छात्रों का चयन:-

प्रत्येक वर्ष में एक बार उपाम द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सम्बन्धित कोर्स में प्रतिभाग से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों की आवश्यकता अनुसार एक पात्रता परीक्षा आयोजित/चयन प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी। इस प्रक्रिया के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक मण्डल स्तर पर आफ लाईन क्लासेज (क्लास रूम प्रशिक्षण) के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(घ)- विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण:-

उपरोक्त चयनित छात्रों को मार्गदर्शन हेतु कक्षाओं में विषय विशेषज्ञों की सहायता भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु राज्य/मण्डल स्तर पर स्थित विश्वविद्यालयों, विभिन्न विषयों के संस्थानों, महाविद्यालयों से वस्तु विषय विशेषज्ञों को इम्पैनल किया जायेगा तथा उनके माध्यम से साक्षात कक्षायें आयोजित की जायेंगी तथा साथ-साथ राज्य स्तरीय इ-लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से भी उच्च कोटि के विषय विशेषज्ञों की वर्चुअल कक्षाएं आयोजित कराई जायेगी।

(ङ) अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन/शिक्षण:-

मण्डलीय समिति द्वारा प्रत्येक जिले में कार्यरत अधिकारियों का एक पैनल बनाया जायेगा एवं इस पैनल द्वारा मार्गदर्शन और शिक्षण कार्य किया जायेगा। आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, आई0एफ0एस0, पी0सी0एस0 तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों का मेंटरशिप का कार्य करना होगा। उनके समर्पित भाव से किये गये कार्य हेतु वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में 'विशिष्ट प्रविष्टि दर्ज की जायेगी।

(च)- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी का दायित्व:-

प्रस्तर 3(क) में उल्लिखित कार्यो के समन्वय के लिए उपाम में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति/आउटसोर्सिंग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा की जायेगी। आई0ए0एस0/पी0सी0एस0परीक्षा हेतु प्रशिक्षु आई0ए0एस0/आई0पी0एस0/भारतीय वन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सेवा/पी0सी0एस0 एवं अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से इन अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया जायेगा तथा कक्षाएं ली जायेगी तथा इसे उनके द्वारा एकेडमी में होने वाले प्रशिक्षण पाठयक्रम का हिस्सा बनाया जायेगा।

अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक कार्यो के सफल संचालन हेतु उपाम द्वारा विषयवार कैलेण्डर व विषय सामग्री तैयार कर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उक्त योजना के प्रचार-प्रसार का कार्य सूचना विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के सम्बन्धित मदों से किया जायेगा। उपाम द्वारा मण्डल स्तरीय समिति की तकनीकी मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया जायेगा।

(छ)-प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन/शिक्षणः-

उपाम तथा पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी में प्रशिक्षु अधिकारियों को अनिवार्य से मण्डल स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु प्रशिक्षु अधिकारियों के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त ग्रेड/अंक प्रदान किये जायेंगे।

4- अतिथि प्रवक्ता /Guest Faculty

प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्यापन कार्य हेतु योग्य, अनुभवी एवं प्रोफेशनल व्याख्याताओं की सेवायें अतिथि व्याख्याता के रूप में ली जायेगी। योग्य/अनुभवी व्याख्याताओं को मण्डल स्तर पर चयन समिति की अनुशंसा से परीक्षण व्याख्यान/Trial Lecture के उपरान्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में मण्डल स्तरीय समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जायेगा। इस हेतु मार्गदर्शन का कार्य उपाम द्वारा किया जायेगा। व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाने वाले विषय विशेषज्ञों/वार्ताकारों/व्याख्याताओं को कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। एक व्याख्यान की अवधि 90 मिनट होगी।

5- कोर्स-को-आर्डिनेटर-

कोर्स-को-आर्डिनेटर द्वारा समस्त अभ्युदय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सत्रों के सफल संचालन हेतु कार्ययोजना तैयार कराकर व्याख्यान आयोजित कराने, अतिथि प्रवक्ताओं की व्यवस्था करने, शिक्षण सत्रों के दौरान अभ्यर्थियों के लिये टेस्ट एवं फीडबैक आयोजित कराने व प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यों का सम्पादन किया जायेगा। इस कार्य हेतु ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा, जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में पी0सी0एस0 मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

6- वित्त व्यवस्थाः-

इस योजना हेतु वित्त की व्यवस्था उपाम/मण्डल स्तरीय समिति द्वारा धन की मांग प्रस्तुत करने पर सुसंगत लेखा शीर्षको के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। उपाम/मण्डल स्तरीय समिति द्वारा त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के संचालन हेतु भविष्य में एक स्वायत संस्था के गठन व सोसायटी के रूप में पंजीकरण कर एक एस0वी0पी0 स्थापित कर किया जायेगा।

7- उपरोक्त योजना दिनांक 16 फरवरी 2021 से लागू होगी। सभी 18 मण्डलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्त की समिति द्वारा दिनांक-16.02.2021 बसन्त पंचमी के शुभ अवसर पर इस योजना का शुभारम्भ कर यथासमय उपर्युक्त समस्त गतिविधियों को संचालित किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृष्ठांकन संख्या-16/2021/509/26-3-2021 एवं तद्दिनांक 06 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0शासन।
5. पुलिस महा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा /माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त योजना के संचालन से प्रतिभागियों को अपने स्तर से भी अवगत करायें।
9. श्री रंजन कुमार मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल।
10. प्रधान वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
12. श्रीमती लक्ष्मी सिंह, पुलिस महा निरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
13. निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकि शिक्षा जनजाति विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान, लखनऊ।
15. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
19. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र समाज कल्याण विभाग।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।